

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2018/बी-433

जयपुर, दिनांक : 04.12.2018

आदेश


मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट संख्या 19425/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.09.2018 की पालना में मा. न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. भगवान सिंह सोमरा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुहाना, झुंझुनू में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट संख्या 19425/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.09.2018 को शीघ्र वैकेट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/भरतपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू/सवाई माधोपुर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव